

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

बुधवार

दिनांक :- 01.11.2017

शांति भंग करने के 14 आरोपी गिरफ्तार :-

घनश्याम सिंह हैड कानि० थाना चौथ का बरवाडा ने श्री नवरत्न पुत्र श्री धन्नासिंह जाति राजपूत उम्र 19 साल निवासी लम्भगाव जिला टिमारी गठवाल उत्तराखण्ड , श्री सुजीत रहित पुत्र श्री धीरेन्द्र नाथ जाति राजपूत उम्र 19 साल निवासी अम्बाथडी थाना कोतवाली जिला कुशबिहार उत्तराखण्ड , श्री लोकेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति रैगर उम्र 19 साल निवासी बिजारी थाना छीपाबडोद जिला बारां, श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री कजोडमल जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी राठौद थाना बौली जिला स०मा० , श्री राजाराम पुत्र श्री बाबूलाल जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार कस्तूर वर्मा उ०नि० थानाधिकारी थाना रवांजना डुंगर ने पप्पू पुत्र सुखपाल जाति गुजर उम्र 34 साल नि० मौजीपुरा थाना रवाजना डुंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार राधेश्याम स०उ०नि० थाना खण्डार ने कमल पुत्र गप्पू उम्र 26 साल , मिटू पुत्र गप्पू उम्र 37 साल , रामजीलाल पुत्र गप्पू उम्र 35 साल समस्त जातियान मीना निवासीयान अनियाला थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार राकेश सोनी स०उ०नि० थाना गंगापुरसिटी ने मन्नु पुत्र रामधन उम्र 20 साल जाति माली निवासी लकडी वाले की ढाणी पिपलाई, , मुकेश पुत्र हजारी उम्र 32 साल जाति माली निवासी नौगांव थाना सदर गंगापुर सिटी , पप्पू उर्फ कमरुददीन पुत्र सैलानी जाति फँकीर मुसलमान उम्र 42 साल निवासी कीरपाडा थाना गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामावतार स०उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री शब्बीर पुत्र अब्दुल्ला जाति मुसलमान उम्र 64 साल निवासी वेयर हाउस कालोनी ग्रेन गोदाम रोड स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार वीरसिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री पृथ्वीराज पुत्र रामस्वरुप जाति माली उम्र 35 साल निवासी धमूण खुर्द थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 01 आरोपी गिरफ्तार:-

गजानन्द उ०नि० थाना कोतवाली ने बलराम मीना पुत्र रामफूल मीना जाती रैगर उम्र 24 साल निवासी रैगर मोहल्ला शहर स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

06 वारंटी गिरफ्तार :-

दौतल सिंह हैड कानि० थाना बहरावण्डा कलॉ ने फरार वारंटी 1. हरिमोहन पुत्र नैनजी गुर्जर 2. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल गुर्जर, 3. नैनजी पुत्र गोकल गुर्जर, 4. जगन्नाथ पुत्र बदरीलाल गुर्जर, 5. लच्छा पुत्र नैनजी गुर्जर, 6. व पांच्या पुत्र नारायण गुर्जर समस्त निवासीयान करीरा खुर्द थाना बहरावण्डा कलां को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपियान के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जे०एम कोर्ट खण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 93/08 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।